IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

P.S-77/16

RAJENDRA RAI ....PLAINTIFF

Vs.

RAM PRASAD RAI & OTHERS....................................DEFENDANTS

18.03.20 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई। पुकार पर उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी का आवेदन दिनांक– 26.11.19, अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 पर उभय पक्षों को सुना गया।

वादी का कथन है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–7 रामदुलारी देवी का निधन हो गया है। अतः मृत प्रतिवादी सं0–7 के वारिसान का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए। प्रतिवादीगण की ओर से अपने प्रत्युत्तर दिनांक– 07.01.20 के द्वारा उक्त आवेदन विलंब से दाखिल किए जाने के बिन्दु पर विरोध किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है, परन्तु विलंब से दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में 200/– रु0 कॉस्ट पर स्वीकृत किया जाता है। वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु सम्मन की अपेक्षिताएं दाखिल करें।

दिनांक– 15.04.2020 वास्ते करने दाखिल सम्मन की अपेक्षिताएं।

अवर न्यायाधीश